2. विविध क्षेत्रों में जेण्डर
Gender in Various Field

विविध क्षेत्रों में भी जेण्डर की परिभाषा विविध रूपों में दृष्टिगोचर होती है क्योंकि जेण्डर के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र की व्याख्या होती है तथा लैंगिक विभेद की समस्या का समाधान सम्भव होता है। विविध क्षेत्रों में जेण्डर की परिभाषा को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है–

1. शैक्षिक क्षेत्र में जेण्डर की परिभाषा (Definition of gender in educational field)—शैक्षिक क्षेत्र में जेण्डर का आशय मात्र छात्र-छात्रा के विभाजन से नहीं है वरन् छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति से है। शैक्षिक क्षेत्र में सह शिक्षा की अवधारणा जेण्डर विभेद को समाप्त करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण उपाय है। विषयगत चुनाव में भी छात्रों के लिये कृषि विज्ञान की व्यवस्था करना तथा छात्राओं के लिये गृह विज्ञान की व्यवस्था करना दोनों पक्षों की सन्तुष्टि का उपाय है। इसके साथ छात्र एवं छात्राओं को अपनी रुचि के अनुसार विषयों के चयन करने का अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार शैक्षिक क्षेत्र में जेण्डर के माध्यम से छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनका चहुँमुखी विकास किया जाता है। **प्रो. एस.के. दुबे** के शब्दों में, "शैक्षिक क्षेत्र में जेण्डर छात्र एवं छात्राओं के

Scanned with CamScanner

चहुँमुखी विकास की प्रक्रिया से सम्बन्धित होता है जिसे छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके सम्पन्न किया जाता है।"

2. व्यावसायिक क्षेत्र में जेण्डर की परिभाषा (Definition of gender in vocational field)—वर्तमान समय में विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में स्त्री एवं पुरुष समान रूप से कार्य करते हैं। यहाँ जेण्डर का आशय स्त्री-पुरुष के मध्य समानता एवं विभेद रहित कार्य व्यवहार से होता है; जैसे—एक पुरुष लिपिक को एक महिला लिपिक से अधिक वेतन नहीं दिया जा सकता क्योंकि जब दोनों समान कार्य कर रहे हैं तो उनका वेतन भी समान होना चाहिये। इसी प्रकार व्यावसायिक क्षेत्रों में अभ्यर्थियों का चयन भी समानता एवं विभेद रहित व्यवस्था के अन्तर्गत किया जाता है। इस प्रकार व्यावसायिक क्षेत्र में जेण्डर का अभिप्राय उन विसंगतियों का पता लगाना है जो कि लैंगिक विभेद उत्पन्न करती हैं तथा स्त्री-पुरुष की असमानता को प्रदर्शित करती हैं। इस आधार पर व्यावसायिक क्षेत्र में जेण्डर लैंगिक विभेद को दूर करने से सम्बन्धित होता है। **श्रीमती आर.के. शर्मा** लिखती हैं कि, "व्यावसायिक क्षेत्र में लैंगिक विभेद को समाप्त करते हुए स्त्री-पुरुष में समानता की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास ही जेण्डर अध्ययन माना जाता है जिससे दोनों ही पक्ष आत्म गौरव एवं आत्म सन्तुष्टि अनुभव करते हैं।"

3. धार्मिक क्षेत्र में जेण्डर की परिभाषा (Definition of gender in religious field)— धार्मिक क्षेत्र में स्त्री-पुरुष की गतिविधियों में पूर्णत: असमानता पायी जाती है। नारी धर्म एवं पुरुष धर्म दोनों ही पृथक्-पृथक् रूप में परिभाषित किये जाते हैं। उन दोनों के लिये विविध प्रकार की धार्मिक परम्पराओं का निर्माण किया जाता है। ये परम्पराएँ पुरुष को उसके प्रभाव एवं पुरुषत्व का ज्ञान कराती हैं तथा स्त्री को उसके स्त्रीत्व एवं प्रभावहीनता का ज्ञान कराती हैं। **श्रीमती आर.के. शर्मा** लिखती हैं कि, "धार्मिक क्षेत्र में जेण्डर का आशय लैंगिक विभेद को प्रदर्शित करता है परन्तु उसके मूल में एक आदर्श व्यवस्था का सार्थक प्रयास छिपा रहता है।"

4. सामाजिक क्षेत्र में जेण्डर की परिभाषा (Definition of gender in social field)—सामाजिक क्षेत्र में जेण्डर का अर्थ लैंगिक विभेद से सम्बन्धित होता है। इसमें स्त्री एवं पुरुष के मध्य अन्तर स्थापित किया जाता है। इसमें पुरुष वर्ग के लिये अधिकारों का वर्णन किया जाता है तथा स्त्री के सीमित क्षेत्र का वर्णन किया जाता है। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि सामाजिक क्षेत्र में जेण्डर के विविध रूप देखे जाते हैं। कहीं स्त्री-पुरुष की असमानता को प्रदर्शित करते हुए लैंगिक विभेद देखा जाता है तो कहीं पर स्त्री-पुरुष की समानता को प्रदर्शित किया जाता है। **प्रो. एस. के. दुबे** कहते हैं कि, "शिक्षित समाज एवं उसके दृष्टिकोण में स्त्री-पुरुष को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिये जिससे लैंगिक विभेद न हो तथा दोनों ही पक्ष सन्तुष्ट रहें जबकि अशिक्षित समाज समान अधिकारों का विरोध करता है। इससे द्वैत भाव की स्थिति उत्पन्न होती है।"

5. आध्यात्मिक क्षेत्र में जेण्डर की परिभाषा (Definition of gender in spiritual field)—आध्यात्मिक क्षेत्र में स्त्री-पुरुष दोनों को ही ईश्वर का अंश माना गया है। इसलिये स्त्री-पुरुष में किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता। ईश्वर की दृष्टि में स्त्री-पुरुष दोनों ही समान हैं। अत: उनका समाज में स्थान भी समान होना चाहिये। 'ईश्वर अंश जीव अविनाशी,

Scanned with CamScanner

चेतन अमल सहस सुखरासी' इस चौपाई के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्त्री-पुरुष को जीव कहकर सम्पूर्ण विभेद समाप्त कर दिया है। अत: आध्यात्मिक क्षेत्र स्त्री-पुरुष के समान महत्त्व को स्वीकार करता है।

6. नैतिक क्षेत्र में जेण्डर की परिभाषा (Definition of gender in moral field) — नैतिक क्षेत्र में भी लैंगिक विभेद को अस्वीकार किया गया है। पुरुष एवं स्त्री वर्ग के अधिकारों को तो पृथक् रूप से परिभाषित किया गया है परन्तु स्त्री के साथ किसी भी प्रकार के अन्याय की अनुमति नैतिकता के आधार पर नहीं दी जाती। मन, वचन एवं कर्म से जीव मात्र को कष्ट न पहुँचाना नैतिक समाज का प्रमुख सिद्धान्त है। इस स्थिति में कोई पुरुष जो कि नैतिक समाज से सम्बन्धित है स्त्री को कष्ट नहीं दे सकता। इस प्रकार नैतिकता के क्षेत्र में स्त्री एवं पुरुषों के मध्य सम्मान एवं प्रेम की स्थिति देखी जाती है। **प्रो. एस.के. दुबे** के अनुसार, "नैतिक समाज में जेण्डर मात्र स्त्री-पुरुष के अधिकारों के वर्गीकरण में विभेद नहीं करता वरन् उसके द्वारा स्त्री-पुरुष को समाज का अभिन्न अंग मानकर प्रत्येक क्षेत्र में समानता स्थापित की गयी है।" इस प्रकार नैतिकता में लैंगिक विभेद बस नाम मात्र का है।

7. कर्म क्षेत्र में जेण्डर की परिभाषा (Definition of gender in working field) — कर्म क्षेत्र में महिला एवं पुरुषों को विविध अधिकार दिये जाते हैं। प्राचीन समय में महिलाओं के कार्य क्षेत्र को विभाजित कर दिया गया था। पुरुष वर्ग को कठिन कार्य दिये जाते थे तथा महिलाओं को सरल कार्य दिये जाते थे। इस आधार पर उनके महत्त्व में भी अन्तर था। वर्तमान समय में दोनों ही वर्गों को समान कार्य करने के अवसर दिये जाते हैं तथा समान पारिश्रमिक दिया जाता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र में भी स्त्री एवं पुरुष की वर्तमान समय में समान स्थिति देखी जाती है। परिस्थिति एवं विशेष अवसरों पर अन्तर का प्रभाव अशिक्षित क्षेत्र में देखा जाता है।

Scanned with CamScanner